



प्रेस नोट थाना बण्डा



जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 03.08.2025

थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर नाबालिगा को शादी के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायां के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के तहत चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारंटी/जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के क्रम में थाना बण्डा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 17.06.2025 को वादिनी द्वारा थाना बण्डा पर प्राप्त लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को शादी के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 321/2025 धारा 137(2) BNS बनाम सूरज पुत्र रामकिशन नि0 ग्राम दलेलापुर जगदीशपुर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 87 बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सूरज उपरोक्त को दलेलापुर चौराहे से पहले रास्ते पर, समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

सूरज पुत्र रामकिशन नि0 ग्राम दलेलापुर जगदीशपुर, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय

थाना क्षेत्रांतर्गत, दलेलापुर चौराहे से पहले रास्ते पर, दिनांक 03.08.2025 समय 12.35 बजे।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय

उ0नि0 पवन कुमार

का0 जरनैल

का0 दिपांशु